महारानी देवी एवं अन्य
बनाम
भारत संघ एवं अन्य

(2008 की दीवानी अपील सं. 3581)
15 मई 2009

[माननीय न्यायमूर्ति श्री तरुण चटर्जी एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री वी.एस. सिरपुरकर]

सेवा विधि — अनुकम्पा नियुक्ति — कर्मचारी की नि:संतान मृत्यु — 16.05.1991 के परिपत्र के आधार पर विधवा द्वारा किसी निकट संबंधी के पक्ष में अनुकम्पा नियुक्ति का दावा — तथापि, परिपत्र में संशोधन कर निकट संबंधी को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान हटा दिया गया — और संशोधित परिपत्र को प्रतिगामी प्रभाव भी नहीं दिया गया — महत्वपूर्ण प्रश्न, कि प्रासंगिक तिथि कौन-सी होगी: कर्मचारी की मृत्यु की तिथि या आवेदन/प्रतिनिधित्व दायर करने की तिथि — तथा संशोधित परिपत्र कब प्रवर्तित हुआ — इन पहलुओं पर उच्च न्यायालय ने विचार नहीं किया — अतः मामला उच्च न्यायालय को पुनर्विचार हेतु वापस भेजा गया — परिपत्र संख्या ई(एनजी)II/88/आरसी-III दिनांक 16.05.1991; आरबीई 102/91।

भारत के महालेखा परीक्षक बनाम जी. अनंता राजेश्वर राव, **1994 (1) एस.सी.सी. 192;** *प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय शिक्षक संघ बनाम राज्य,* **2001 (1) पी.एल.जे.आर. 287**; *बलबीर कौर एवं अन्य बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया,* **ए.आई.आर. 2000 एस.सी. 1906;** *अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं अन्य बनाम सी.आर. रंगधमैय्या एवं अन्य,* **1997 (6) एस.सी.सी. 623 — संदर्भित किया गया।**

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया एवं अन्य बनाम जसपाल कौर, **2007 (9) एस.सी.सी. 571 — भेद किया गया।**

नज़ीर संदर्भः

1994 (1) एस.सी.सी. 192	**संदर्भित**	**कंडिका 4**
2001 (1) पी.एल.जे.आर. 287	**संदर्भित**	**कंडिका 6**
ए.आई.आर. 2000 एस.सी. 1906	**संदर्भित**	**कंडिका 7**
1997 (6) एस.सी.सी. 623	**संदर्भित**	**कंडिका 12**
2007 (9) एस.सी.सी. 571	**विशिष्ट**	**कंडिका 14**

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2009 की दीवानी अपील सं. 3581

पटना उच्च न्यायालय द्वारा 15.02.2005 को दीवानी विनिर्दिष्ट आदेश याचिका सं. 2213 वर्ष 2005 में पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न।

अपीलकर्ता के पक्ष में : श्वेता गर्ग।

प्रतिवादियों के पक्ष में : हरीश चन्द्र, साधन संधू, ए.के. शर्मा, डी.एस. महरा।

न्यायालय का निर्णय **माननीय न्यायमूर्ति श्री वी.एस. सिरपुरकर** द्वारा प्रदान किया गया।

1. अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अपीलकर्ता सं. 1, श्री कैलाश सिंह की विधवा हैं, जो पूर्वी रेलवे, बिहार में स्टोरमैन के रूप में कार्यरत थे, जबकि अपीलकर्ता सं. 2 उनके भतीजे हैं। उक्त कैलाश सिंह का निधन 03.12.1995 को हो गया। वे पूर्वी रेलवे (अब पूर्व मध्य रेलवे) के स्थायी कर्मचारी थे। उनका कोई संतान नहीं था। अपीलकर्ताओं के दावे के अनुसार, अपीलकर्ता सं. 1 एक असहाय विधवा हैं। अपने पति की मृत्यु के उपरांत, 05.12.1995 को अनुकम्पा नियुक्ति के लिए एक आवेदन मंडलीय रेलवे प्रबंधक, दानापुर (द्वितीय प्रतिवादी) के समक्ष अपीलकर्ता सं. 2 के पक्ष में प्रस्तुत किया गया, क्योंकि दिवंगत कैलाश सिंह नि:संतान मरे थे, और उस समय प्रभावी परिपत्र संख्या ई(एनजी)II/88/आरसी-III दिनांक 16.05.1991; आरबीई

102/91 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई कर्मचारी नि:संतान मृत्यु को प्राप्त हो, तो उसके निकट संबंधी को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जा सकती थी।

3. दुर्भाग्यवश, दिनांक 13.12.1995 को रेलवे बोर्ड ने अपने आदेश द्वारा एक नीति निर्णय लिया तथा 16.05.1991 के उपर्युक्त परिपत्र में संशोधन करते हुए निकट संबंधी को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान हटा दिया। इस निर्णय को बाद में 22.12.1995 के परिपत्र द्वारा प्रसारित किया गया। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस परिपत्र को प्रतिगामी प्रभाव नहीं दिया गया था।

4. चूँकि उनके द्वारा किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया गया, अतः 29.02.1996 को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अपीलकर्ता सं. 2 के पक्ष में एक अन्य प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया गया। 19.03.1997 के आदेश द्वारा इस आवेदन को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद एक और प्रतिनिधित्व श्री सुशील कुमार मोदी, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा, के माध्यम से किया गया, जो उनके पत्र क्रमांक 1424 दिनांक 06.10.1999 द्वारा रेल राज्य मंत्री को संबोधित था। किन्तु उन्हें भी यह सूचित कर दिया गया कि निकट संबंधी को अनुकम्पा आधार पर नियुक्त करने का कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है और इस आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया है। अतः अपीलकर्ताओं ने कैंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना पीठ, पटना (आगे 'अधिकरण' कहा गया है) के समक्ष मूल आवेदन दायर किया। यह संकेत किया गया कि रेलवे बोर्ड का परिपत्र सं. ई(एनजी)II/88/आरसी-I/1 दिनांक 12.02.1990 उपलब्ध है, जिसमें यह प्रावधान था कि यदि कोई कर्मचारी सेवा–काल में मृत्यु को प्राप्त हो जाए और विधवा निसंतान हो, तो अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निकट संबंधी की नियुक्ति कठिनाई और प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर विचार की जा सकती है। इस परिपत्र के आधार पर अपीलकर्ताओं ने अपना दावा प्रस्तुत किया। यह भी संकेत किया गया कि इस परिपत्र पर अधिकारियों द्वारा विचार नहीं किया गया। आगे यह बताया गया कि 16.05.1991 का परिपत्र (जिसका उल्लेख इस निर्णय

में पूर्व में किया गया है) भी विचार–विमर्श में नहीं लाया गया। यह भी दावा किया गया कि 13.12.1995 के रेलवे बोर्ड के आदेश द्वारा निकट संबंधी की अनुकम्पा नियुक्ति के प्रावधान को समाप्त किया गया था, परंतु यह संशोधन प्रतिगामी नहीं था, अतः इसका लागू होना वर्तमान मामले पर संभव नहीं है। संक्षेप में, यह कहा गया कि चूँकि अपीलकर्ता सं. 1 के पति का निधन 03.12.1995 को हुआ था, जब रेलवे बोर्ड का पूर्ववर्ती आदेश प्रभावी था, जिसमें निकट संबंधी को अनुकम्पा नियुक्ति की अनुमति थी, इसलिए अपीलकर्ता सं. 2 को नियुक्ति देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं था। प्रतिवादी रेलवे ने यह तर्क दिया कि 13.12.1995 को निकट संबंधी की नियुक्ति का प्रावधान हटाने का निर्णय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 09.12.1993 पर आधारित था, इसलिए 03.12.1995 को अपीलकर्ता सं. 1 के पति की मृत्यु का कोई महत्व नहीं है। यह भी कहा गया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार ही नोडल विभाग है, और सरकारी सेवा से संबंधित सभी मामलों का क्रियान्वयन उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। रेलवे ने भारत के *महालेखा परीक्षक बनाम जी अनंत राजेश्वर राव,* 1994 (1) एससीसी 192 के निर्णय पर भी भरोसा किया और कहा कि अपीलकर्ता किसी प्रकार की राहत पाने की अधिकारी नहीं है।

5. अधिकरण ने यह मत व्यक्त किया कि, परिस्थितियाँ जो भी हों, प्रतिवादी अधिकारियों ने न तो कोई युक्तियुक्त आदेश पारित किया और न ही मामले के गुण–दोष पर विचार किया। अतः अधिकरण ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे प्रतिनिधित्व का पुनर्विचार करें तथा अपीलकर्ता सं. 1 की अपीलकर्ता सं. 2 पर निर्भरता के पहलू पर भी विचार करें। उन्हें यह भी निर्देशित किया गया कि 13.12.1995 के रेलवे बोर्ड के आदेश की प्रासंगिकता पर विचार करें, क्योंकि दिवंगत कर्मचारी की मृत्यु उस आदेश के जारी होने से पूर्व हुई थी, और यह भी देखें कि क्या वह आदेश प्रतिगामी रूप से लागू किया जा सकता है। अधिकरण ने यह भी निर्देशित किया कि प्रतिनिधित्व का निपटारा चार माह की समयसीमा के भीतर किया जाए। किन्तु, 12.08.2002 को प्रतिवादियों ने पुनः अपीलकर्ताओं के दावे को

अस्वीकार कर दिया। इस बार अपने आदेश में प्रतिवादियों ने यह दर्शाया कि अपीलकर्ता सं. 1 को अपने पति की मृत्यु के बाद परिवार पेंशन तथा मृत्यु–लाभ के रूप में ₹1,04,658/- प्राप्त हुए थे। यह कहा गया कि अनुकम्पा नियुक्ति का उद्देश्य कर्मचारी द्वारा छोड़े गए परिवार की सहायता करना है, और 13.12.1995 के आदेश में निकट संबंधी को अनुकम्पा नियुक्ति देने का कोई प्रावधान नहीं है। यह भी दोहराया गया कि चूँकि अपीलकर्ता सं. 1 को अपने पति की मृत्यु पर उल्लेखनीय राशि प्राप्त हुई है, अतः वह अपीलकर्ता सं. 2 की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। अपीलकर्ता पुनः अधिकरण, पटना के समक्ष पहुँचे। अधिकरण ने दो प्रश्नों का निर्माण किया।

निर्धारित प्रश्न इस प्रकार थे : (1) क्या अपीलकर्ता सं. 1 द्वारा अपीलकर्ता सं. 2 के लिए की गई अनुकम्पा नियुक्ति की मांग का विचार 16.05.1991 के अधिसूचना/परिपत्र के आधार पर किया जाना आवश्यक था, या फिर इसका मूल्यांकन 13.12.1995 के आदेश के आलोक में किया जाना चाहिए? (2) क्या प्रतिवादी प्राधिकारीगण द्वारा यह कहते हुए अपीलकर्ताओं का अनुरोध अस्वीकार करना सही था कि अपीलकर्ता सं. 1 को अपने दिवंगत पति की सेवा–संबंधी देयों के रूप में एक लाख रुपये से अधिक राशि प्राप्त हुई थी तथा वह उचित पेंशन भी प्राप्त कर रही थीं, और क्या इस आधार पर यह माना जा सकता है कि वह आर्थिक अथवा अन्य प्रकार की कठिनाई से पीड़ित नहीं थीं?

6. पहले प्रश्न पर, अधिकरण ने यह राय व्यक्त की कि अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान केवल एक सामाजिक कल्याण उपाय है तथा इसका उद्देश्य केवल किसी निकट संबंधी को नौकरी देना नहीं है। इस प्रश्न पर न्यायाधिकरण ने पटना उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के निर्णय पर विचार किया, जो *प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय शिक्षक संघ बनाम राज्य* के मामले में दिया गया था, जो 2001 (1) पीएलजेआर 287 में प्रकाशित हुआ था।, परंतु यह माना कि वह निर्णय अपीलकर्ताओं के मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता। अधिकरण ने आगे कहा कि जिस कार्यालय परिपत्र पर अपीलकर्ता ने निर्भर किया था और जो कैलाश सिंह

की मृत्यु के दिन प्रभावी था, वह आवेदन प्रस्तुत किए जाने के समय लागू नहीं था, क्योंकि उस समय संशोधित परिपत्र पहले ही लागू हो चुका था। अधिकरण ने यह तथ्य स्वीकार नहीं किया कि पहली अभ्यावेदन 05.12.1995 को दिया गया था। इसके बजाय, अधिकरण ने 29.02.1996 को दिए गए प्रार्थना-पत्र को ही पहला प्रतिनिधित्व माना और यह निष्कर्ष निकाला कि चूँकि उस दिन 13.12.1995 का संशोधित परिपत्र प्रभावी था, अतः उसी संशोधित परिपत्र को लागू माना जाएगा। परिणाम स्वरूप, अधिकरण ने माना कि अपीलकर्ता किसी भी राहत के पात्र नहीं हैं, क्योंकि निकट संबंधी को अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान संशोधित परिपत्र द्वारा समाप्त किया जा चुका था। संक्षेप में, अधिकरण ने यह माना कि प्रासंगिक तारीख कर्मचारी की मृत्यु की तारीख नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

7. पहले प्रश्न पर, इसलिए, अधिकरण ने अपीलकर्ताओं के विरुद्ध निर्णय दिया। परंतु दूसरे प्रश्न पर अधिकरण ने *पंकज कुमार बनाम भारत संघ,* जिसका निर्णय 24.08.2000 को हुआ था, पर भरोसा करते हुए यह माना कि अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति इस आधार पर नहीं नकारी जा सकती कि मृत सरकारी कर्मचारी की विधवा या बच्चों को प्राप्त वित्तीय सेवा लाभ उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। इस प्रस्तावना के समर्थन में अधिकरण ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय *बलबीर कौर और अन्य बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया,* एआईआर 2000 एससी 1906, पर भी निर्भर किया।

8. अपीलकर्ताओं ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर की। किंतु वह याचिका प्रारम्भिक चरण में ही बिना विचार के खारिज कर दी गई और इसी प्रकार अपीलकर्ता वर्तमान अपील में हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं।

9. अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता तथा प्रतिवादी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिश चन्द्र द्वारा उठाए गए तर्कों के आधार पर हमारे समक्ष विचार का जो प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि अपीलकर्ताओं के दावे का निर्णय करने के लिए कौन-सी तिथि प्रासंगिक होगी — क्या वह तिथि मानी जाएगी जिस दिन अपीलकर्ता संख्या 1 के पति

का निधन हुआ, अर्थात 03.12.1995; या फिर वह तिथि महत्वपूर्ण होगी जिस दिन प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया गया, अर्थात 22.12.1995, जब संशोधित परिपत्र लागू हो चुका था और जिसके कारण किसी भी निकट संबंधी को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति पाने से वंचित किया गया था।

10. यह आग्रह किया गया कि अधिकरण का यह कहना सही नहीं था कि पहली अभ्यावेदन 05.12.1995 को नहीं बल्कि बाद में 29.02.1996 को प्रस्तुत की गई थी। हम इस प्रश्न में नहीं जा रहे हैं क्योंकि यह वस्तुस्थिति से संबंधित विवाद है। तथापि, मूल प्रश्न फिर भी शेष रहता है कि अनुकम्पा नियुक्ति पर विचार किए जाने का अधिकार किस तिथि को उत्पन्न होता है — क्या यह अधिकार उस तिथि को उत्पन्न होता है जब संबंधित कर्मचारी का निधन होता है, या इसे उस तिथि के आधार पर परखा जाना चाहिए जब अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है।

11. हमें उच्च न्यायालय के आदेश में इस विषय पर कोई विचार-विमर्श नहीं मिलता और वस्तुतः ऐसा होना संभव भी नहीं था, क्योंकि विनिर्दिष्ट आदेश याचिका प्रारम्भिक चरण में ही खारिज कर दी गई थी।

12. अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निर्णय *चेयरमैन रेलवे बोर्ड और अन्य बनाम सी.आर. रंगाधमैया और अन्य*, 1997 (6) एससीसी 623 पर भरोसा किया, जो कि संविधान पीठ द्वारा दिया गया निर्णय है। यह वह मामला था जिसमें रेल विभाग द्वारा अनुच्छेद 309 के अंतर्गत भारतीय रेल प्रतिष्ठान संहिता के नियम 2544 में संशोधन करने वाले अधिसूचना की वैधता पर विचार किया गया था, जिसे पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ लागू किया गया था। इस संशोधन से उन कर्मचारियों की पेंशन संबंधी शर्तें प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थीं, जो अधिसूचना की तिथि पर ही सेवानिवृत्त हो चुके थे। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि ऐसी परिस्थितियों में नियमों में ऐसा संशोधन, जिससे कर्मचारियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालय

ने यह भी कहा कि जब यह संशोधन लाया गया, उस समय संविधान के अनुच्छेद 19(1) (एफ) तथा अनुच्छेद 31(1) प्रभावी थे। अतः ऐसे संशोधनों द्वारा याचिकाकर्ताओं के संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन हुआ। आगे यह भी कहा गया कि पेंशन में कटौती करने के लिए प्रावधानों में इस प्रकार का पूर्वव्यापी प्रभावि संशोधन लाना, अनुच्छेद 14 और 16 का भी उल्लंघन होगा और इसलिए अवैध है। इस निर्णय पर भारी निर्भरता रखते हुए अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उपरोक्त मामले में तो संशोधन पूर्वव्यापी प्रभावि से किए गए थे, जबकि वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है। इसलिए 13.12.1995 की संशोधित परिपत्र अपीलकर्ताओं के मामले में लागू नहीं हो सकती। आगे यह तर्क भी दिया गया कि अनुकम्पा नियुक्ति पर विचार का अधिकार कर्मचारी की मृत्यु की तिथि को ही उत्पन्न हो जाता है, और वही तिथि प्रासंगिक है। अधिवक्ता के अनुसार, प्रतिनिधित्व किस तिथि को किया गया, यह पूरी तरह अप्रासंगिक है।

13. इसके विपरीत, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिश चन्द्र ने यह तर्क दिया कि सबसे प्रासंगिक तिथि वही होगी जब अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि रेलवे बोर्ड को यह विचार करना होता है कि जिस तिथि को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन किया गया, उस तिथि को क्या अपीलकर्ता वास्तविक रूप से आर्थिक विवशता या दारिद्र्य की स्थिति में थे।

14. इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर, उच्च न्यायालय ने कोई मत व्यक्त नहीं किया है। उसने केवल अधिकरण के निर्णय को अनुमोदित कर दिया। प्रतिवादी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में *स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम जसपाल कौर,* 2007 (9) एससीसी 571 पर भरोसा किया। तथापि, हमें वर्तमान मामले और उक्त निर्णय के तथ्यों में कोई समानता नहीं मिलती। उस निर्णय में केवल इस प्रश्न पर विचार किया गया था कि अनुकम्पा नियुक्ति के लिए कौन-सी योजना लागू होगी —क्या वह योजना जो आवेदन दायर किए जाने के समय लागू थी, या वह जो न्यायालय के निर्णय के समय प्रभावी थी।

15. इस प्रकार का प्रश्न वर्तमान वाद में हमारे विचार के लिए प्रस्तुत ही नहीं है। अतः वह निर्णय प्रतिवादी के अधिवक्ता के किसी उपयोग का नहीं है। परन्तु हमारे द्वारा उठाया गया मुख्य प्रश्न—कि विचारणीय तिथि कौन-सी होगी: कर्मचारी की मृत्यु-तिथि या प्रतिनिधित्व दायर किए जाने की तिथि—इस पर उच्च न्यायालय ने कोई विचार नहीं किया है। अतः हम इस मामले को उच्च न्यायालय को पुनः विचारार्थ भेजते हैं और अनुरोध करते हैं कि उच्च न्यायालय इस प्रश्न का निर्णय करे। हम और भी अनुरोध करते हैं कि यह मामला उच्च न्यायालय में प्राप्त होने की तिथि से छह माह के भीतर निपटा दिया जाए, क्योंकि यह विषय एक निर्धन विधवा के अधिकारों से संबंधित है। अपील हमारे द्वारा बताए गए शब्दों में स्वीकार की जाती है। व्ययों के संबंध में कोई आदेश नहीं।

एन.जे. अपील स्वीकार की जाती है।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।